

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:-प0 2(4)राज-6 / 2001 / ८४

जयपुर, दिनांक:- २६-१-१३

-:अधिसूचना:-

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (वर्ष 1971 का अधिनियम सं0 12) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'राज्य सरकार, ग्रामदानी ग्राम "भागू का गाँव" जिला जैसलमेर में स्थित राज्य सरकार की अनाधिवासित भूमियों, में से नीचे दर्शेत अनुसूची अनुसार भूमि के प्रबन्धन से ग्राम सभा को एतद द्वारा निर्निहित करती है:-

अनुसूची

खसरा नं0	किसम	कुल क्षेत्रफल	निर्निहित क्षेत्रफल
83	बंजड़	156 बीघा 5 बिरुदा	5 बीघा
179	बंजड़	128 बीघा 6 बिरुदा	32 बीघा 10 बिरुदा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जे0 पी0 बुनकर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव राजरव।
3. जिला कलेक्टर जैसलमेर।
4. अध्यक्ष ग्रामदानी गांव, भागू का गांव जिला जैसलमेर।
5. अधिक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक २६-१-१३ में प्रकाशनार्थ।
6. निदेशक, राजस्थान भूदान ग्रामदान बोर्ड जयपुर।
7. उप शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।



उप शासन सचिव